

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: ०7दिसम्बर, 2021

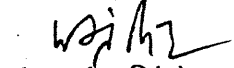
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य के बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 के लिये मतदान दिनांक 21.12.2021 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होंगे।

अतः निर्वाचन क्षेत्रों से लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल महोदय द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 19.12.2021 को सायं 5:30 बजे से दिनांक 21.12.2021 को सायं 5:30 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

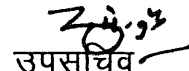
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/6216

दिनांक: ०7/12/2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग